तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/8	(प्रकरण ... [illegible]) माननीय आदेश ... 31.5.24 की पालना में ... दिनांक 30/08/24 ... पुन: सुनी गई। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
30/8/24 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	पत्रावली पेश हुई वकील उपस्थित दावा वादीया साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाये जाकर शामिल मिसल किया गया पक्षकारान जारी हो पत्रावली फैसल शुदा होकर नकल से काम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो सुनाया 30.8.24 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/234/2015 दायर दिनांकः– 05/05/2015

जीसीएमएस नं0:–2013/00295 निर्णय दिनांकः– 30.08.2024

वउनवान

1. सपना पुत्री गोरधन जाति ब्राहमण नाबालिक
2. रागनी पुत्री गोरधन जाति ब्राहमण नाबालिक जरिये सरपस्त दोनों नाबालिगान श्रीमति मन्जू माता खुद साकिन जाडला तहसील कठूमर जिला अलबर, हालवासी ग्राम बसवा, तहसील बसवा जिला दौसा।

..... वादीगण

बनाम

1. गोरधन पुत्र शिवलाल जाति ब्राहमण साकिन जाडला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
2. श्रीमती सन्तोष उर्फ सन्ता स्त्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ, जिला अलवर।
3. सब रजिस्ट्रार साहब कठूमर जिला अलवर।

..... प्रतिवादीगण

दावा इस्तकारारहक वो स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–

उपस्थितिः–श्री भागचन्द जैन– अधिवक्ता वादीगण
श्री राधावल्लभ शर्मा– अधिवक्ता प्रतिवादी

–: निर्णयः–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद इस्तकरारहक स्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 481, 482, 486, 498, 501, किता 5 रकबा 2.76 हैक्ट का 1/60 भाग वो 500, 499 किता 2 रकबा 0.22 है0 का 1/160 भाग वो 569 रकबा 0.15 हैक्ट का 1/40 भाग वो 426 रकबा 0.14 हैक्ट का

30.8.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1/80 भाग वो 572, 567 किता 2 रकबा 0.50 हैक्ट का 1/40 भाग वो 55, 36, 391/1162, 409/1163, 415/1160, 419/1161, 52,54, 82 96/1159 किता 10 रकबा 5.26 हैक्ट का 1/5 भाग वो 568, 571 किता 2 रकबा 0.43 हैक्टर का 1/40 भाग वो 549 रकबा 0.48 हैक्टर का 1/160 भाग वाके ग्राम जाडला, तहसील कठूमर जिला अलवर में है , जो आराजी हाल राजस्व रिकार्ड जमावन्दी सम्वत 2063 में प्रतिवादी नम्बर 1 गोरधन के नाम खातेदारी में दर्ज है, जो आराजी उपरोक्त दाव हाजा में विवादीत मुतनाजा है जिसे आगे चलकर उपरोक्त दावे हाजा में विवादीत आराजी के नाम सम्बोधित किया जा रहा है, ताई में नकल जमाबन्दी हाल सम्वत 2063 पेश है। विवादीत आराजी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1व2 एक ही परिवार के व्यक्ति है, वादीगण प्रतिवादी नम्बर 1 की सगी पुत्रियॉं है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 की सगी भुआ है। विवादीत आराजी वादीगण के बाबा शिव्लाल के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 करे विरासत में शिवलाल के मरने पर जरिये विरासत इन्तकाल संख्या 635 के प्राप्त हुई है, जिस आराजी में वादीगण का जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त हो जाता है। वादीगण की माता श्रीमती मंजू वां प्रतिवादी नम्बर 1 गोरधन दोनो पति पत्नी थे, जो प्रतिवादी नम्बर 1 दहेज की मॉग को लेकर वादिया की माता मन्जू के साथ गोरधन मारपीट करता चला आ रहा है वादीया की मॉं ने प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्व तलाक याचिका पेश की जिसका निर्णय दिनांक 3.12.2005 को होकर दोनो का विवाह विच्छेद हो गया, तथादोनो अलग–अलग हो गये वादिया प्रतिवादी गोरधन की पुत्रियॉं है, जो अपनी मॉं की सरपरस्ती में बसरवा में मा के साथ रहती चली आ रही है। विवादी आराजी वादीगण के बाबा शिवलाल के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो विरासत में प्रतिवादी गोरधन को प्राप्त है , जिस आराजी में वादीगण को जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त है। जिस आराजी में प्रतिवादी गोरध के साथ वादीगण का 2रु3 भाग है। विवादीत आराजी प्रतिवादी गोरधन के नाम गलत तौर पर खातेदारी में दर्ज रचली आ रही है, जिस आराजी को प्रतिवादी गोरधन के हक वो अधिकारों को समाप्त करने के उददेश्य से दीगर व्यक्तियो कोबना करना चहाता है वो वादीगण के नाम 2/3 भाग की खातेदारी दर्ज कराने से इन्कार होता है जिस कारण वादीगण को प्रमिवादी गोरधन के साथ–साथ 2/3 भाग की प्राप्त करने के अधिकारणी है। प्रतिवादी गोरधन चतुर वो चालाक वा बेईमान व्यक्ति है वादिगण की मॉं ने प्रतिवादी गोरधन पर भरण पोषण का दावा किया गया जिसमें न्यायालय श्रीमान ने गोरधन पर 1200/–रूपये प्रति माहा वादीया की मॉं को भत्ता दिये जाने के आदेश किये है प्रतिवादी गोरधन द्वारा भरण पोषण भत्ता अब तक जला आ रहा है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 जानबूझकर अदा करना नही चहाता है न्यायालय श्रीमान से वसूली वारण्ट वारी है जिन वसली वारण को

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

विफल करने के उददेश्य से प्रतिवादी गोरधन ने हाल विवादीत आराजी के नाम का 1/5 भाग खातेदारी दर्ज हो जरिये रजिस्ट्री नुमाईशी बयनामा दिनांक 27.09.2007 को प्रतिवादी नम्बर 2 श्रीमति सन्तोष को बय कर दिया है, जो श्रीमती सन्तोष प्रतिवादी गोरधन की सगी बहन है, जो बयनामा नुमाईशी वो बिना प्रतिफल वो बिना कब्जे के किया गया है, जिस बनयनामा को वादीगण पाबंद नही है, जो बयनाम शुन्य है तथा वादीगण के खिलाफ बातिल, बेअसर वो नाकाबिल पाबन्दी है जिससे वे विवादीत खातेदारी की आराजी में 2/3 हिस्से भाग अनुसर वादीगण को कार्यकाश्तकारी करने में रूकावट वो मजाहत पैदा करते है .बयनामा नुमाईशी दिनांक 27.09.2007 के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम कराने की ध्मकी देते है शेष रही विवादीत आराजी को रहन बय करने की धमकी देते है जिसकारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द फरमाने के अधिकारी है। अतः वादीगण को उक्त आराजी खसरा नम्बर 481, 482, 486, 498, 501, किता 5 रकबा 2.76 हैक्ट का 1/60 भाग वो 500, 499 किता 2 रकबा 0.22 है0 का 1/160 भाग वो 569 रकबा 0.15 हैक्ट का 1/40 भाग वो 426 रकबा 0.14 हैक्ट का 1/80 भाग वो 572, 567 किता 2 रकबा 0.50 हैक्ट का 1/40 भाग वो 55, 36, 391/1162, 409/1163, 415/1160, 419/1161, 52,54, 82 96/1159 किता 10 रकबा 5.26 हैक्ट का 1/5 भाग वो 568, 571 किता 2 रकबा 0.43 हैक्टर का 1/40 भाग वो 549 रकबा 0.48 हैक्टर का 1/160 भाग वाके ग्राम जाडला, तहसील कठूमर में से 2/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे बयनामा दिनांक 27.09.2007 जो प्रतिवादी गोरधन ने प्रतिवादी संतोष के हक में किता 10 रकबा 5.26 हेक्टर के 1/5 भाग नुमाईशी रजिस्टर्ड कराया है, वो बयनामा वादीगण के 2/3 भाग के मुकाबले बातिल, बेअसर वो ना काविल पाबन्दी है उसे शुन्य घोषित किया जावे।प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादीगण को विवादीत आराजी खसरा नम्बर के 2/3 भाग अनुयार ामलात में कार्यकाश्तारी करने में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे। अतः वादी ने दावा मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने हाजिर अदालत होकर वादीगण द्वारा लगाये गये आरोप प्रत्यारोप का खण्डन करते हुये अपना जवाब दावा पेश किया। जिसमे सभी आरोपो को झूठा एवं निराधार बताकर दावा गलत रूप से पेश किया गया है। कथन किया कि प्रार्थी उक्त वादीगण की मॉ को प्रेमपूर्वक रखने को तैयार था परन्तू मंन्जू नही मानी और उसने विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करली वादीयागण को मंजू द्वारा बेजारूप से अपने पास रख रखा है, जिन वादीयाण को प्रतिवादी नम्बर 1 की सरपरस्ती में रखने के लिये

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

याचिका पेश कर रखी है। विवादीत आराजीयात में वादीयागण का जन्म से कोई हक वो अधिकारी नही है। एवं प्रतिवादी अपनी खातेदारी की आराजी में बेचान करने व रहन करने का पूरा पूरा हक है वादीयागण का कोई हक वो अधिकार विवादीत आराजी में नही है और ना ही कब्जा है। जबकी वादीयागण की मॉ कठोर निर्दयी एवं बाचाल औरत है जिसने जान बुझकर प्रतिवादी का परित्याग किया है एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपनी जायज जरूरत पूरी करने की गर्ज में विवादीत आराजी का 1/5 भाग का विक्रय प्रतिवादी नम्बर 2 को 4,00000/– रूपये में बेचान किया गया है। जिस आराजी पर वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 2 का कब्जा है बयनामा नुमाईशी एवं बातिल वो बेअसर करार दिये जाने योग्य नही है वादीयागण का कोई हक वो अधिकारी उक्त आराजी पर नही है। जिस कारण वादीगण का दावा डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नही है दावा चलने योग्य नही हैं। दावा वादीयागण खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी नं0 3 जवाब पेश नही करना चाहा उनका जवाब बन्द किया गया। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श–1, नकल बयनामा दिनांक 27.09.2007 प्रदर्श–2, नकल इन्तकाल संख्या 635 प्रदर्श–3 पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वदीयागण ने अपने दावा के समर्थन में पी डब्ल्यू 1 वादी मन्जू, गवाह सपना पी डब्ल्यू 2 के वयान लेखवद्व कराये जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी द्वारा डी डल्लू 1 गोरधन, एवं डी डबलू 2 घनश्याम के वयान लेखवद्व कराये जो शामिल पत्रावली है। वादीयागण के अधिवक्ता द्वारा दावा के समर्थन में आर.आर.टी 2023(1) पेज नंम्बर 648, आर.आर.टी 2019 (2) पेज नंम्बर 1550, आर.आर.टी 2020(1) पेज नं0 195, आर.आर.डी. 14.02.2014 पेज नं0 74 की नजीरें पेश की जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता वादीयागण व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया तथा दावा में कुल 4 तनकी कायम की गयीं। जिनका बिन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार से है –

<u>तनकी सं0 1–</u> इस प्रकार से है कि आया वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 481, 482, 486, 498, 501, किता 5 रकबा 2.76 हैक्ट का 1/60 भाग वो 500, 499 किता 2 रकबा 0.22 है0 का 1/160 भाग वो 569 रकबा 0.15 हैक्ट का 1/40 भाग व्रो 426 रकबा 0.14 हैक्ट का 1/80 भाग वो 572, 567 किता 2 रकबा 0.50 हैक्ट का 1/40 भाग वो 55, 36, 391/1162, 409/1163, 415/1160, 419/1161, 52,54, 82 96/1159 किता 10 रकबा 5.26 हैक्ट का 1/5 भाग वो 568, 571 किता 2 रकबा 0.43 हैक्टर का 1/40 भाग वो 549 रकबा 0.48 हैक्टर का 1/160 भाग वाके ग्राम जाडला, तहसील कठूमर वावत खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

घोषित किये जाने एवं डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। इस तनकी को सावित करने का भार वादीयागण पर है। विद्वान अधिवक्ता वादीयागण की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीयागण ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि आराजी मुतनाजा वादीयागण के पिता श्री गोरधन के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादीयागण प्रतिवादी संख्या 1 की सगी लडकिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 की सगी बहन है। विरासत इंतकाल संख्या 635 से पैतृक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 की प्राप्त आराजी मुतनाजा है, जिसमे पुत्रियों का जन्म से पैतृक संपति में अधिकारी निहित है, जबकी विवादीत आराजीयात में वादीयागण का जन्म से कोई अधिकार किसी किस्म का नही है ना ही सिद्व होता है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी नम्बर 1 के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी उसकी पैदा कर्दा आराजी है जिसके कारण वादीयागण कोई अनुतोष प्राप्त करने एवं डिकी प्राप्त करने अधिकारी पाये नही पाये जाते है। अतः तनकी संख्या 1बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीयागण निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2–</u> इस प्रकार सें है कि आया वादी प्रतिवादी का बयनामा दिनांक 27.09.2007 जो प्रतिवादी सं0 1 ने प्रति0 संख्या 2 के हक में किता 10 रकबा 5.26 हैक्टर के 1/5 हिस्सा का नुमाइसी रजिस्टर्ड कराया है जो वयनामा 2/3 हिस्सा वादीयागण के मुकाबले वातल एवं वेअसर वो नाकाविल पाबन्दी है इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है। वादीयागण सेल डीड कैन्सलेसन नही कराना चहाते है सिर्फ वादीगण के हिस्से तक सेल डीड को हटाये जाने का निवेदन किया गया वादीयागण विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार घोषित कराने के अधिकारी नही पाये गये है। जिसमे वादीयागण कां जन्म से कोई अधिकार किसी किस्म का नही है ना ही सिद्व होता है। उक्त विवादीत आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं की पैदा कर्दा जमीन पर वादीयागण का कोई हक व अधिकार नही है। उक्त विवादीत आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की स्वयं की पैदा कर्दा जमीन है जिसको प्रतिवादी संख्या 1 अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिये बैचान कर सकता है इसलिये बयनामा दिनांक 27.09.2007 को वादीयागण के मुकाबले वातल एवं बेअसर वो नकाविल पाबन्दी या अपने हिस्से तक इन्तकाल को हटवाये जाने के अधिकारी नही पाये जाते है। अतः यह तनकी वहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीयागण निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 3–</u> इस प्रकार से है कि आया वादीगण प्रतिवादी को अपने हिस्से अनुसार डिकी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार है इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। चुंकि उक्त विवादीत आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की

30.8.21
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पैदा कर्दा आराजी है जिसको प्रतिवादी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये खरीद या बेचान करने का अधिकारी है जिस कारण वादीयागण प्रतिवादी को किसी तरह से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी विरूद्व वादीयागण वहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4– इस प्रकार से है कि आया प्रतिवादी सं0 1 की उक्त विवादीत आराजी स्वंय की पैदा कर्दा आराजी है। जिस वावत वादीगण को दावा लाने का कोई अधिकार नही है।इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है उक्त आराजी स्वंय की पैदा कर्दा आराजी है जो पत्रावली के साथ सलंग्न दस्तावेजातो से साबित होता है। की उक्त विवादी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं की पैदा कर्दा की गई आराजी है अतः यह तनकी विरूद्व वादीयागण वहक प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

चूँकि 4 तनकियां विरूद्व वादीयागण तय की गयी है इस वजह से दावा वादीयागण साबित ना होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः वाद वादीयागण आराजी खसरा नम्बर 481, 482, 486, 498, 501, किता 5 रकबा 2.76 हैक्ट का 1/60 भाग वो 500, 499 किता 2 रकबा 0.22 है0 का 1/160 भाग वो 569 रकबा 0.15 हैक्ट का 1/40 भाग वो 426 रकबा 0.14 हैक्ट का 1/80 भाग वो 572, 567 किता 2 रकबा 0.50 हैक्ट का 1/40 भाग वो 55, 36, 391/1162, 409/1163, 415/1160, 419/1161, 52,54, 82 96/1159 किता 10 रकबा 5.26 हैक्ट का 1/5 भाग वो 568, 571 किता 2 रकबा 0.43 हैक्टर का 1/40 भाग वो 549 रकबा 0.48 हैक्टर का 1/160 भाग वाके ग्राम जाडला, तहसील कठूमर अंतर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 का साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/234/2015 दायर दिनांकः– 05/05/2015

जीसीएमएस नं0:–2023/656 निर्णय दिनांकः– 30.08.2024

बउनवान

1. सपना पुत्री गोरधन जाति ब्राहमण नाबालिक
2. रागनी पुत्री गोरधन जाति ब्राहमण नाबालिक जरिये सरपस्त दोनों नाबालिगान श्रीमति मन्जू माता खुद साकिन जाडला तहसील कठूमर जिला अलबर, हालवासी ग्राम बसवा, तहसील बसवा जिला दौसा।

..... डिक्रीदारान

बनाम

1. गोरधन पुत्र शिवलाल जाति ब्राहमण साकिन जाडला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
2. श्रीमती सन्तोष उर्फ सन्ता स्त्री सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी काली पहाडी तहसील राजगढ, जिला अलवर।
3. सब रजिस्ट्रार साहब कठूमर जिला अलवर।

.....मदयूनान

दावा इस्तकारारहक वो स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–

अतः वाद वादीयागण आराजी खसरा नम्बर 481, 482, 486, 498, 501, किता 5 रकबा 2.76 हैक्ट का 1/60 भाग वो 500, 499 किता 2 रकबा 0.22 है0 का 1/160 भाग वो 569 रकबा 0.15 हैक्ट का 1/40 भाग वो 426 रकबा 0.14 हैक्ट का 1/80 भाग वो 572, 567 किता 2 रकबा 0.50 हैक्ट का 1/40 भाग वो 55, 36, 391/1162, 409/1163, 415/1160, 419/1161, 52,54, 82 406/1159 किता 10 रकबा 5.26 हैक्ट का 1/5 भाग वो 568, 571 किता 2 रकबा 0.43 हैक्टर का 1/40 भाग वो 549 रकबा 0.48 हैक्टर का 1/160 भाग वाके ग्राम जाडला, तहसील कठूमर अंतर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1995 का साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

30.8.24

सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)